MERCY KILLING BILL

BY SHRI MOOL CHAND DAGA

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up the next Bill by Shri Mool Daga.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): I beg to move:

> "That the Bill to provide for mercy killing of the persons who have become completely invalid and bedridden or suffering from an incurable disease, be taken into considederation."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े भरे हुये मन से एक विधेयक देश के जन-प्रतिनिधियों के सामने, इस जगत में रहने वाले महान पुरुषों और विद्वानों के सामने, उन के विचार के लिये रख रहा हूं ताकि उन की प्रतिक्रिया जान सकूं और मैं समझता हूं कि हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब इस पर अपने विचार देंगे ।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर यह बिल लाया हूं । मरते हुए जीने से क्या लाभ है । जो जिन्दगी सिसकती हो, तड़पती हो और जो जिन्दगी किसी काम की न हो, उस जिन्दगी के जीने से क्या लाभ । आज दुनिया में हजारों, लाखों प्राणी ऐसे हैं, जो जिन्दगी और मौत के बीच झूल रहे है, जिन्हें जिनकी हालत बडी चिन्ता जनक है कृत्रिम सांसों के द्वारा जीवित रखा जा रहा है, जिन्हें औषधियों उपलब्ध की जा रही हैं, उनके इस यातनापूर्ण जीवन के क्या लाभ है ? इस के लिये उन्हें बड़ी कठिनाईयां उठानी पड़ती है ।

इस तरह के लोग आज हजारों की संख्या में इस देश में हैं । वे अपने कुटुम्बों, देश और समाज के लिये बोझ बने हुये हैं । उनसे क्या लाभ है ?

जिन्दगी किस का नाम है । जिन्दगी वह है जो उमगं और उत्साह से भरी हो जिसके चेहरे पर तैरती हुई मुस्कान हो, जो खिलखिलाना जानती हो, जो दूसरों को खिलाना जानती हो । यह मरी हुई जिन्दगी किस काम की हैं? ये ऐसे लोग हैं जो जीना नहीं चाहते हैं लेकिन ये सम्मानपूर्वक मर भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें इस की इजाजत नहीं होती है । यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है । इस पर हमें विचार करना चाहिये ।

अमेरिका और कैलिफोर्निया के दस राज्यों में यह कानून पारित हो गया है । यह नेशनल एक्ट 1976 का है । मैं इस एक्ट की सारी बातें रखूंगा कि उन्होंने यह एक्ट क्यों पारित किया । और भी कई स्टेटस ने इस एक्ट को पास कर दिया है । केनबरा ने जब मैंने एक सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया तो मेरा बिल इन्ट्रोड्यूस हो चुका था ।

मेरा सवाल यह कि जब जीने का अधिकार है तो स्वास्थ्य मंत्री जी राईट टू डाई विद डिग्निटी का अधिकार भी मिलना चाहिये । मरने वाले का एक ताजा उदाहरण है जिसको कि मैं आपको बताना चाहता हूं । 8 दिसम्बर, 1980 को पूणे के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी श्री गोपाल शिवराम मंडली ने कहा—

> "Mr. Gopal Shivram Mandlik was 85, when he decided that he should die and die in dignity, permitted to do so by law. He petitioned to the Government to legalise suicide for those who no longer considered life worth living. The Government did not reply. On 8th December, 1980 Mr. Mandlik committed suicide by taking poison."

इस माण्डलिक ने सुसाईड क्यों किया ? उसका जो इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने वर्णन

किया है । उन्होंने मौत को क्यों पसन्द किया इसके लिये

He says:

"I had a lawful life for 85 years and in a few years I might become a burden to others. I have led a happy life. I have had no worries —financial or otherwise so far. I do not wish to go on living now, as all my earthly duties, I feel, are over. Moreover, now as I am too old, my limbs are gradually failing and I am a useless member of society. I do not wish to commit suicide. It is illegal I desire that I may be given permission to end my life under the care of a doctor who would ensure that my end is painless and peaceful. An act to that effect is necessary."

तब उन्होंने मोरारजी देसाई को पत्र लिखा, उस समय जो मंत्री थे उनको भी पत्र लिखा । उस पत्र को मैं बतलाना चाहता हूं । उन्होंने बतलाया कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, हिलडुल नहीं सकता हूं, लाश की तरह पड़ा हुआ हूं । मैं कैसे जी सकता हूं । मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है । उन्होंने पत्र लिखा : There was no reply. He says:

"The experience so far has been that unless one resorts to extreme measures such as making sensational speeches or fasting, the Government is not known to come awake."

आजकल सरकार कोई भाषा नहीं समझती, केवल आंदोलन की भाषा समझती है । हमारे एक स्वतन्त्रता सैनानी लिख रहे हैं —

"But I do not approve of such measures and also, at this old age, I am unable to take to that path.

With a view to end my life the way I desired, I swallowed sleeping tablets on the 15h December 1979. Prior to that attempt, I had donated my body to the Sassoon Hospital, Pune, and eyes to the Eye Bank. But after I had taken the sleeping tablets, I had been unconscious at the hospital and, unfortunately, the end did not approach me."

उन्होंने कहा कि मैंने टेबलेट्स ली, लेकिन फिर भी मौत मुझे नहीं उठा सकी । तब मुझे एक अनजान आदमी ने जहर भेजा, उस जहर को जब मैंने लिया तो मैं मर गया। मैं अपनी आंखें किसी को देना चाहता था, लेकिन मेरी सारी चीजें जहरीली हो चुकी थीं, इसलिए मैं डोनेट नहीं कर सका ।

He says;

"I write this in such great detail, so that no one is held responsible for my death and no one is troubled on account of my death. But the Government is all-powerful and I can only pray at the feet of God that it be given good wisdom."

अब भगवान जाने हैल्थ मिनिस्टर साहब को भगवान क्या विजडम देगा । यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है । एक बार जब एक गाय का बछड़ा तड़प रहा था, कोई इलाज नहीं था तब महात्मा गांधी ने उस बच्चे का अंत करवा दिया था ।

श्री राम सिंह यादव : (अलवर) यह गलत है ।

श्री मूल चन्द डागा : आप बहुत जानते हैं, इसलिए गलत कह रहे हैं । यह बात उनकी आटो बायोग्राफी में है, मुझे पूरी तरह से मालूम है और अभी मैं कोट करूंगा ।

उन्होंने सोचा कि यह तड़प रहा है, कोई इलाज नहीं है, इसलिए उन्होंने उस बच्चे का अंत करवा दिया । इसलिए यदि कोई व्यक्ति समझता है कि कोई कानून अनैतिक है तो उस कानून को तोड़ने का उसे अधिकार होना चाहिए और उसका परिणाम भुगतने के लिए भी उसको तैयार होना चाहिए ।

महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया, नमक आंदोलन शुरू किया, उन्होंने सोचा कि सरकार ने गलत कानून बनाया है इसलिए

[श्री मूल चन्द डागा[

अनैतिक कानून को तोड़ना चाहिए और उसको तोड़कर उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए । आदमी जिसकी तपी हुई जिन्दगी होती है, जो किसी पर कभी बोझ नहीं बनता है, वह जब दूसरों पर बोझ बन जाता है, समाज के लिए बोझ बन जाता है, देश के लिए बोझ बन जाता है तो उसका क्या किया जाए । 1975 में मैंने कुछ आंकड़े एकत्र किए थे । उनके अनुसार अमरीका में 10,000 से ज्यादा आदमी बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए थे, ब्रिटेन में 1715, फ्रांस में 11372, नार्वे, स्वीडन और डैनमार्क में 3000, इटली में 2117, कैनाडा में 4301, दक्षिण अफ्रीका में 3000, भारत में 17000, चीन में 31000 और रूस में 8972 । ये सब लोग असाध्य रोगों से पीड़ित थे । इनका कोई इलाज नहीं था । बड़े बड़े डाक्टरों ने यह कह दिया था कि इनका कोई इलाज नहीं है । कृत्रिम साधनों के जरिये उनको जिन्दा रखा जा रहा था । उनको जिन्दा रखने के लिए उनके जो कुटुम्बी जन थे वे बरबाद हों गये थे, सारे के सारे परिवार बरबाद हो गए थे, परेशान हो गए थे, खर्च करते-करते थक गए थे । इतना उनका प्यार इन लोगों के प्रति था, इतनी उनकी जिन्दगी के साथ उनको मुहब्बत हो गई थी । लेकिन वह जिंदगी परिवार के लिए बोझ बन गई थी । ऐसी सूरत में क्या किया जाए ?

इस सबजैक्ट को लोग समझते हैं कि यह कंट्रोवर्शल सबजैक्ट है । लेकिन आप देखें कि आज इसके लिए दुनिया में बड़े बड़े संगठन कायम हो गए हैं, एक जगह नहीं सारी दुनिया में बन गए हैं । यूरोपीय देशों में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इटली में, कनाडा में सब जगह बन गए हैं और शान्ति से मरने का उनका अधिकार है, इस प्रकार का नारा वे दे रहे हैं, सम्मानपूर्वक मरने उनको दिया जाए, इसको लेकर ये संगठन–खड़े हो गए हैं । डाक्टरों का, वकीलों का, विद्वानों का, कानून जानने वालों का, आध्यात्मिक गुरुओं का सब का ध्यान उन्होंने इस ओर खींचा है "टू डाई विद डिग्निटी" जब मस्तिष्क काम करना बन्द कर दे और कई साल तक वह जिन्द लाश पड़ी रहे तो इससे क्या फायदा । मैं आपको एक अपने मित्र की मिसाल देना चाहता हूं । उसके हैड इंजरी हो गई थी । मेरा वह बहुत घनिष्ट, गहरा, जान-पहचान वाला मित्र था । फलती फूलती उसकी जिन्दगी थी । वह आगे बढ़ता जा रहा था । कई साल तक मैं उसके पास जाता रहा । आंखों से वह देख तो लेता था लेकिन बोल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था । सूनी सूनी उसकी आंखें थीं । घर वाले परेशान हो गए थे । उसका बच्चा एक अमरीका में पढ़ता था । दूसरा किसी कालेज में पढ़ता था । घर की सारी दौलत बरबाद हो गई । लेकिन उस जिन्दगी से उस परिवार को कोई लाभ नहीं हुआ । दस साल के बाद लम्बी बीमारी के बाद उसका देहान्त हो गया । भगवान ने उसको उठा लिया । आप जानते हैं मैं जैनी हूं । जैनी लोग एक चींटी को मारना भी हिंसा समझते हैं :—

MR. DEPUTY-SPEAKER: How do you want to eradicate the faith that the people have that at any time God may restore good life to him? That faith is there throughout the world. How are you going to argue that truth?

श्री मूल चन्द डागा : That is true. That I have answered in my Bill. That is a question which has to be answered.

जैन धर्म में हमारे कई साधू लोग, कहीं कोई सुइसाइड वह नहीं करते, बल्कि मरने से पहले समझ लेते हैं कि अब उनका शरीर खत्म होने वाला है इसलिये खाना पीना बंद कर देते हैं ;

They stop taking any medicine, any food and any water.

और कई महीने तक ऐसे ही रहते हैं, फिर अपने आप शरीर छोड़ देते हैं । आत्मा से जब सम्बन्ध जोड़ देते हैं, आत्मा की विस्मृति के क्षण दुर्घटना के क्षण नहीं होते हैं । बाहरी

दुनिया के दिखावे और वाहवाही के अलावा अन्दरूनी इज्जत अधिक बड़ी है जिसकी चेहरे पर खुशी होती है ।

Face is the index of the heart.

यह केवल बाहर का सौन्दर्य नहीं है । इसलिये भारत में श्री मीनू मसानी ने जो एक वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन थे, कुशल विद्वान् व्यक्ति भी हैं, एक सोसायटी बनाई Society for the right to die with dignity".

The Society is headed by a number of eminent people, including doctors and lawyers, and others who wish to be actively involved in public service. The Members of the Executive Committee are—

उसमें बड़े बड़े डाक्टर हैं । इस पर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स निकले हैं, ज्यादा नहीं दो, चार बातें कहना चाहता हूं ।

Sunday Statesman dated July 26 1981: "In spite of possible abuse, the case for euthanasia cannot easily be dismissed. A person should, in theory at least, have the right to choose death rather than the excruciating mental and physical agony of a hopeless illness. The argument seems stronger in the case of those who are reduced to a vegetable existence. It seems as absurd and inhuman to prolong this kind of 'life' in the hope of the discovery of a cure as to deep-freeze the dead for the same reason."

Then *Sunday Mid-day* (August 16, 1981) says:

"That at this stage of time there is a need to legalise euthanasia and mercy killing in a rational form is undeniable. The great Dr. Christian Barnard himself, in his book *A Good Life, A Good Death*, says that he has on several occasions withdrawn treatment to hopeless patients . . . The real work of the Society for the Right to Die with Dignity will begin not before but after euthanasia and mercy killing is legalised. If it can act as a vigilant body to check out and prevent such a law from being abused, its existence would then be justified."

Mirror (September 1981): "I am willing to raise my hand in sympathy for Mr. Masani's group if they could answer my one reservation: how are we going to stop avaricious relatives from exploiting the situation and speeding rich old men and women to their deaths?

Once this obstacle has been taken care of mercy-killing would be the best thing that happened to human society for a long, long time. If we can't choose our lives, we must at least have the right to choose our deaths."

इस पर कई किताबें लिखी गई हैं कि जो आदमी जिन्दा हो भी तो उससे भी कहते हैं मरती हुई जिन्दगी से क्या लाभ ।

"Mr. N. C. Tejpal in a letter to the editor of the *Indian Express* dated 6-8-81 puts it:

'The person who feels that he is a burden to himself, his family, and to Society, should have the freedom to die without fear to the law.' "

मौत का कोई समय नहीं होता है, सब का समय होता है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : लोग कहते हैं कि उसी का होता है ।

श्री मूलचन्द डागा : उसी का होता है । यह ठीक है, आप आध्यात्मिक पुरुष हो गए हैं आजकल । आपको जिन्दगी के अन्दर का ज्ञान मालूम हो गया है इसलिए बाहरी जगत में कम रहते हैं । यह मुझे खुशी हुई ।

[श्री मूलचन्द डागा]

I quote a verse by Colonel C. L. Proudfoot:

"Since the going is inevitable
Fear not the time, but rather
The manner of departure;
For me, the grace of a quick
Exit, with no long-drawn agony
Of helplessness to plague loved
Ones, demanding time, money and
Endless heartbreak, an object
Of pity and despair, praying
Mutely for the end. For me, a
Swift clean getaway with both
To none, stealing silently into
The night; quietly, without fuss
Or fanfare; a kindness to loved
Ones; theu ltimate act of charity."

इस प्रकार की जो सोसाइटी बनीं, the theme of the Society is—A right to diew ith dignity.

हिन्दुस्तान में उसके करीवन 50,000 मेम्बर बन चुके हैं और उसका डिस्क्शन होने लग गया है। दिल्ली में भी एक सोसाइटी बन गई, और वह सोसाइटी मि० एस० कुमार ने बनाई है।

There is an article written by Mr. S. Kumar entitled 'Right to Die—A fresh look'.

मैंने इसीलिए कहा था कि इस बिल को मैं नहीं चाहता कि पास हो जाए। इसको पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए भेजा जाए।

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): Sir, why do you not ask Mr. Daga to write a book on this?

SHRI MOOL CHAND DAGA: You will have a chance to participate in the discussion.

एक दफा मालूम हो जाये कि जनता इस पर क्या विचार करती है। मैं यह नहीं कहता कि आज ही निर्णय ले लें, लेकिन संसार में आज इस प्रकार के लोग हैं.....

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर): हिन्दुस्तान की जनता तो इसके पक्ष में राय नहीं देगी।

श्री मूल चन्दा डागा: किस ने कह दिया? आपको कौन कह रहा है? हम कब कह रहे हैं कि नहीं दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा: उस में उन्होंने बताया कि एक लड़की कैंसर की थी, जिसका इलाज नहीं हो पाया था। उसके लिए डाक्टर ने कहा कि मैं इसका इलाज कर नहीं सकता, तो कोर्ट ने उस डाक्टर के खिलाफ मुकदमें में कहा कि करना होगा, यह तुम्हारी ड्यूटी है। उसने कहा कि इलाज से लाभ नहीं होता।

Even the trial court did not accede to the request of the father. The Supreme Court held:

(a) The right to refuse medical treatment was a most valuable right;

तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा :—

"The right to refuse medical treatment was a most valuable right.

When the person involved was incompetent and not in a condition to exercise herself, she should have a guardian who could exercise that right on her behalf,

The father was a worthy man, and was entitled to select a physician of his choice who would agree with him that the artificial remedies should be discontinued.

Before the patient was allowed to die, the decision should be reviewed by an ethics committee comprising physicians, social workers and theologians;

If the father, the doctor and ethics committee agreed, the artificial remedies should be withdrawn and the girl permitted to die.

All concerned would be immune from both civil and criminal liability.

The historic decision in the Quinland's case in mid-seventies gathered world-wide attention. It gave a fillip to the 'allowing to die' movement then raging in different parts of the world."

आज दुनिया में कई लोग ऐसी हालत में हैं, जो तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकती । कुमार ने जो सोसाइटी बनाई है, उस में कई संसद् सदस्य, डाक्टर और रिटायर्ड जैनरल्ज भी हैं । यह सोसाइटी डेटा इकट्ठा कर रही है कि कितने लोग दुखी हैं और अपने जीवन को छोड़ना चाहते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि इस बिल को इसी रूप में पारित कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि इस बिल पर सोचा जाए, जिसका विषय है :

'to provide for mercy killing of the persons who have become completely invalid and bed-ridden on suffering from an incurable diease"

जो आदमी सिसकता हुआ मौत के कगार पर है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसे हजारों लाखों रुपये की दवाओं से आर्टिफिशल ढंग से जिन्दा रखा जा रहा है, जो अपने कुटुम्ब समाज और देश पर एक बोझ बना हुआ है, क्या उसे जिन्दा रखना चाहिए ? इस लिए मैं इस बिल को पेश करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

जब मैं चुनाव लड़ा था, तो इस बिल के प्रश्न पर मेरा विरोध किया गया था। मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में कहा जाता था कि डागा तो सब को मारना चाहता है। बड़े-बड़े विरोधी नेता इस बिल को हाईलाइट करते थे कि डागा कहता है कि सब बूढ़ों को खत्म कर दो। मैं कहना चाहता हूं कि बूढ़े तो हमारी दौलत हैं, हमारी पूंजी हैं। हम तो बूढ़ा उसे कहते हैं, जिसका मन बूढ़ा हो गया हो, जिसके मन में उमंग और उल्लास न हो और जिसके चेहरे पर मुस्कान न हो। लेकिन तड़पता हुआ जीवन किस काम का है ?

मेरे बिल का परपज यह है कि पेशन्ट को एक बोर्ड आफ डाक्टर्ज एग्जामिन करे, जिस में बड़े अस्पतालों के बड़े डाक्टर और सर्जन हों। वे इस नतीजे पर पहुंचे है कि यह एक इनक्यूरेबल डिजीज है, अब इसका इलाज नहीं हो सकता, उस पर भी हम भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि आज हिन्दुस्तान में पैसे की राजनीति ऐसी है कि जिसने सारी नैतिकता और सारे मूल्यों को समाप्त कर दिया है। पैसे ने आज देश में सारे मानदण्डों को और सारे नैतिक सिद्धांतों को समाप्त कर दिया है। इसीलिए मैंने कहा है कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसका अध्यक्ष एक डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। वह कमेटी उस मामले पर काफी सोच-विचार करे। उस व्यक्ति की इच्छा को मालूम करे और उसके रिलेटिब्ज से पूछताछ की जाए। पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने के बाद ही जज को इजाजत होनी चाहिए कि वह डाक्टर को निर्देश दे सके।

एक ऐसी कमेटी मुकर्रर होनी चाहिए जिस में धार्मिक विचारों के, नैतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को रखा जाए। वह कमेटी देखे कि अगर आदमी तड़प रहा है, सिसक रहा है और उसकी जिन्दगी किसी काम की नहीं है और वह स्वयं जीना

[श्री मूलचन्द डागा]

नहीं चाहता है तो पूरी छान-बीन कर के निर्णय ले। जुडीशियल इंस्पेक्शन की बात मैंने जो रखी है, उसको, ला मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं, वे अच्छी तरह से समझते हैं। एन्वायरनमेंट, ऐंटिसिडेन्ट्स— इस प्रकार की सारी बातों की उस में छान-बीन की जानी चाहिए। और जब उनको पूरी तरह से संतुष्टि हो जाये तभी डाक्टर को एडवाइज किया जाना चाहिए कि वह कोई ऐसी दवा या गोली दे दे जिस से कि उसके सारे दुःख दर्द समाप्त हो जायें। इस प्रकार से मरने पर उसकी आंखें भी काम आ सकेंगी और शरीर के दूसरे अंग भी काम में आ सकेंगे। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी श्री मांगलिक जैसी दशा नहीं होनी चाहिए जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोरारजी भाई तथा दूसरों को पत्र लिखे लेकिन किसी ने भी उनको कोई एडवाइज नहीं दी। प्वायजन से न तो उनकी आंखें किसी काम की रहीं और न शरीर के दूसरे अंग किसी काम के रहे। वे अपने जो अंग दान करना चाहते थे वह भी नहीं कर सके। इस में एक डेक्लेरेशन देने की व्यवस्था भी रखी गई हैं। आज जो बूढ़े लोग है उनके रिटायर होने के बाद उनकी जिन्दगी पर दया आती है। जिनके पास कोई साधन नहीं है वे सड़कों पर घूमते हैं और उनके बाल-बच्चे शहरों में आनन्द करते हैं। (व्यवधान)

Here, I would like to quote from an article, "The Birth of a Movement which appeared in *India Today*, dated 31st October, 1981. It says:

"Till last fortnight, when it made a quiet and unceremonious debut in India in the form of the Indian Society for the Right to Die, a newly-formed group of doctors, lawyers, educationists, members of Parliament and civil servants who are opposed to the "futile prolongation of dying".

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Daga, I think you are going to conclude?— No. Therefore, you will continue next time.

18.00 hrs.

DISCUSSION RE. NEED TO RE-ORIENT THE CREDIT POLICIES OF THE NATIONALISED BANKS TO EXTEND FINANCE TO THE VITAL SECTOR OF AGRICULTURE.

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli):

I beg to raise a discussion on the need to reorient the credit policies of the nationalised banks to extend finance to the vital sector of agriculture on terms which are not more exacting than those applicable to industry, which would make up for the requisite financial resources lacking all these years for this sector, and which would provide gainful employment to an overwhelming majority of our people.

Having heard the speech made by Shri Mool Chand Daga I would not be merciless to the Members in the House as also to the Presiding Officer. I shall be as brief as possible.

India is essentially an agricultural country. 1971 census shows that 69 per cent of our people live on agriculture. You are aware that there was a saying 'an Indian agriculturist is born in debt and dies in debt'. In those days the money lenders used to give him credit and in late twenties, in this century, we have seen that the credit co-operative societies have been started for the benefit of the cultivators. The structure of the credit co-operative societies is like this. The Reserve Bank gives loan to the apex bank in a particular State at the rate of 4 per cent I may be corrected by Shri Janardhana Poojary later on if I